an>

Title: Regarding prisoners who are sick/completed their jail terms ad are over sixty years of age.

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सम्पूर्ण देश सहित उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में क्षमता से अधिक जो कैदी बंद हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण वहां आये दिन उपद्रव होते हैं, साथ ही साथ सरकार के ऊपर बहुत सारे आर्थिक बोझ पड़ते हैं और जेल प्रशासन को भी कैदियों को अनुशासन में रखने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से देश के गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जेलों में जो ऐसे कैदी हैं, जिनकी सजा पूरी हो गई है या जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं या जिनकी उम्र साठ वख़्◌ान्न से ऊपर हो गई है, लेकिन जो रा-ष्ट्रद्रोह में बंद हैं या जो आंतकवादी घटनाओं में बंद हैं, ऐसे कैदियों को छोड़कर बाकी कैदियों को रिहा करने पर सरकार विचार करे। क्योंकि बहुत सारे कैदी कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित हैं, वे चलने-फिरने में भी असमर्थ हैं। वे अब किसी अपराध में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को जेलों से रिहा करने में मदद करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा डा.मनोज राजौरिया को श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.03 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hours

The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past

Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those Matters shall be treated as laid for which the text of the Matter has been received at the Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.